



निविदा संख्या :- TDRT/45020/02-2020/08

अल्पकालीन निविदा सूचना

विषय :- गणतंत्र दिवस समारोह, 2022 हेतु झाँकी निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु निविदा के संबंध में।

पर्यटन विभाग द्वारा पटना के गाँधी मैदान में गणतंत्र दिवस (26 जनवरी, 2022) के अवसर पर प्रदर्शित होनेवाली झाँकी के निर्माण कार्यों के लिए अनुभवी एजेंसियों से मुहरबंद लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा आमंत्रित की जाती है।

झाँकी का विषयवस्तु :- पुनौराधाम, सीतामढ़ी

प्री-बीड मीटिंग की तिथि :- दिनांक 14.01.2022 को पूर्वा 11 बजे। स्थान- पर्यटन निदेशालय का कार्यालय, प्रथम तल, बी. ब्लॉक, एक्सटेंशन भवन, मुख्य सचिवालय, पटना-800015 में।

निविदा समर्पित करने का तिथि एवं स्थान :- दिनांक 17.01.2022 को पर्यटन निदेशालय का कार्यालय, प्रथम तल, बी. ब्लॉक, एक्सटेंशन भवन, मुख्य सचिवालय, पटना-800015 में अप 0 2 बजे तक।

तकनीकी निविदा खोलने की तिथि :- दिनांक 17.01.2022 को 4 बजे अप 0।

प्रेजेन्टेशन की तिथि :- दिनांक 17.01.2022 को 5 बजे अप 0।

वित्तीय निविदा खोलने की तिथि :- बाद में इसकी सूचना दी जाएगी।

तकनीकी निविदा शर्त :-

1. विगत 3 वर्षों में झाँकी, Conceptualization, Design, Fabrication and Execution में पुरस्कृत (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्राप्त) एजेंसी ही इस निविदा में भाग लेने योग्य होंगे। निविदा में पुरस्कार प्राप्त होने संबंधी साक्ष्य उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
2. फर्म/एजेंसी का कुल टर्नओवर अंतिम तीन वित्तीय वर्षों का कुल रू० 50,00,000/- (पचास लाख रुपये) होना चाहिए।
3. अंतिम तीन वर्षों का आयकर रिटर्न समर्पित करना होगा।
4. फर्म/एजेंसी को न्यूनतम तीन वर्षों का झाँकी निर्माण कार्य संबंधित अनुभव होना चाहिए। प्रमाण स्वरूप कार्यादेश की छायाप्रति समर्पित करना होगा।
5. जी.एस.टी. नम्बर प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।
6. फर्म/एजेंसी का निबंधन प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।
7. फर्म/एजेंसी को एक शपथ पत्र देना होगा कि उनकी एजेंसी को किसी विभाग/संस्थान के द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।
8. निविदादाता द्वारा समर्पित सभी कागजात/अभिलेख की विषय सूची एवं Index लगाना अनिवार्य होगा।
9. ई.एम.डी. के रूप में रू० 50,000/- का डिमांड ड्राफ्ट तकनीकी निविदा के साथ समर्पित किया जायेगा, जो निदेशक, पर्यटन (Director, Tourism), Payable at Patna को देय होगा।
10. टेंडर फी के रूप में रू० 1,000/- (Non Refundable) समर्पित करना होगा।
11. Joint Venture/Consortium इस निविदा में भाग लेने योग्य नहीं होंगे।

अन्य शर्त :-

1. तकनीकी निविदा के साथ विषयगत झाँकी का आलेख, डिजाईन, ग्राउण्ड एलाइन्मेंट, झाँकी का मॉडल, जीवंत कलाकारों के प्रदर्शन की रूपरेखा संलग्न करना होगा।

2. प्रेजेन्टेशन कार्य की रूपरेखा/डिजाईन/मॉडल को प्राथमिकता दी जायेगी। प्रेजेन्टेशन हेतु निम्न कार्यों के लिए अंक निम्नवत् हैं :-
विषय वस्तु का मॉडल – 50 अंक
न्यूनतम 35 अंक (70%) या अधिक अंक पानेवाले सफल फर्मों की ही वित्तीय निविदाएँ खोली जाएगी।
3. **वित्तीय निविदा**— वित्तीय निविदा टंकित (Typed) प्रति में अलग लिफाफे में संलग्न करनी होगी, जिसमें दर एवं कर अलग-अलग उल्लेखित हो। ऐसा न करनेवाले का वित्तीय निविदा रद्द कर दी जाएगी। न्यूनतम वित्तीय निविदा देनेवाले एजेंसी को कार्य आवंटित किया जाएगा।
4. फर्म/एजेंसी द्वारा झाँकी निर्माण के कार्य में जिन कलाकारों की सेवाएँ ली जाएगी, उन्हें किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित होना चाहिए। तत्संबंधी कलाकारों की सहमति पत्र के साथ उनका प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
5. झाँकी निर्माण के दौरान सभी कलाकार एवं कर्मी पर्यटन निदेशालय के झाँकी निर्माण कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य विभाग/संस्था के कार्य नहीं करेंगे।
6. झाँकी का निर्माण जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये बड़े ट्रक पर अनुमोदित आलेख एवं डिजाईन के अनुरूप कार्य स्थल पर उपस्थित विभागीय पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी एवं विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त संयोजक के निदेशानुसार करना होगा।
7. झाँकी को जीवंत बनाने हेतु झाँकी में भाग लेनेवाले कलाकार एवं उनके जीवंत प्रदर्शन, उनके परिधान, ध्वनि विस्तारक यंत्र, थीम म्यूजिक, लाईट एंड साउंड आदि की व्यवस्था चयनित एजेंसी को करनी होगी, जिससे झाँकी भव्य एवं आकर्षक बने।
8. झाँकी प्रदर्शित होने तक झाँकी की सुरक्षा की जिम्मेवारी चयनित एजेंसी की होगी।
9. एजेंसी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना सर्वोच्च परिणाम देते हुए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आकर्षक एवं गुणवत्तापूर्ण झाँकी का निर्माण करेंगे, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले सामग्रियों का उपयोग किया जायेगा ताकि झाँकी का स्वरूप भव्य एवं दर्शनीय लगे, जिससे पर्यटन विभाग के कार्यों की सराहना की जा सके।
10. प्रदर्शन अवधि में झाँकी में किसी प्रकार की टूट-फूट, कमी अथवा प्रदर्शन में असफलता, गुणवत्ता में कमी आदि होने पर भुगतान में उचित कटौती/पूर्ण कटौती कर ली जाएगी तथा एजेंसी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
11. झाँकी के प्रदर्शन के उपरांत सॉल्वेज फर्म/एजेंसी का होगा। इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही फर्म/एजेंसी दर उद्धृत करेंगे।
12. झाँकी निर्माण के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में पर्यटन निदेशालय से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
13. किसी अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताए रद्द/अस्वीकृत करने का अधिकार निदेशक, पर्यटन को सुरक्षित होगा। इसमें किसी प्रकार का वाद-विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
14. असफल निविदादाताओं का ई.एम.डी. एजेंसी चयन के 15 दिनों के अंदर वापस कर दी जाएगी तथा चयनित एजेंसी का ई.एम.डी. कार्य समाप्ति के पश्चात् वापस की जाएगी।
15. इस कार्य के विरुद्ध विपत्र का भुगतान, विपत्र समर्पित करने के पश्चात् किया जाएगा। वशर्ते कि कार्य संतोषप्रद हो।
16. झाँकी 24.01.2022 के अपराह्न तक विशिष्टियों के अनुसार पूर्ण रूपेण तैयार हो जानी चाहिए।
17. सरकार द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करना चयनित एजेंसी का दायित्व होगा।
18. विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट www.tourism.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है अथवा मो0नं0 9434203754 पर संपर्क कर सकते हैं।

ह0/—

निदेशक, पर्यटन।